10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर.

निग- 13761 - II - 15

प्र0क्र0 /2015

श्री.................................
द्वारा आज दि.........................को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हरीप्रसाद पुत्र रामनाथ साहू, साकिम गहिलगढ पश्चिम तहसील व जिला सिंगरोली म0प्र0 -- प्रार्थी

बनाम

जवाहर पुत्र मेतलाल शाह साकिम गहिलगढ पश्चिम तहसील व जिला सिंगरोली म0प्र0 -- प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959
सहपठित धारा 151 सी0पी0सी

महोदय,

प्रार्थी का प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, प्रार्थी द्वारा राजस्व निरीक्षक, मण्डल वैढन, तहसील सिगरौली जिला सिगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 प्रकरण क्रमांक 66/अ–12/14–15 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेशं ग्वालियर सर्किट कोर्ट, रीवा म0प्र0 में निगरानी प्रस्तुत की गयी थी।
2. यहकि, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण क्रमांक 3162/II/15 पर दर्ज हुयी।
3. यहकि, राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 में सीमांकन की कार्यवाही में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की गयी थी एवं प्रतिप्रार्थी के भूमि ख.नं.435 रकवा 0.040 है. स्थित ग्राम गहिलगढ़ पश्चिम की सीमांकन की पुष्टि की गयी थी।
4. यहकि, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रकरण क्रमांक 3162/II/15 द्वारा अभिभाषक श्री अरूण कुमार साहू द्वारा दिनांक 28.08.2015 को श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी।
5. यहकि, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रकरण क्रमांक 3162/II/15 में अभिभाषक श्री अरूण कुमार साहू द्वारा आराजी नं.435 रकवा 0.040 है. की बजाय त्रुटिवश आराजी नं. 735 रकवा 0.40 है. लिख दिया गया है।
6. यहकि, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रकरण क्रमांक 3162/II/15 प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति बिन्दु उठाया गया है कि सीमांकन हेतु बन्दोवस्ती सीमा चिन्ह हो सीमांकन का आधार मानकर सीमांकन नहीं किया गया है। अनावेदक के पश्चिम तरफ की मेड को सीमा चिन्ह मानकर सीमांकन किया गया है। जो मान्य योग्य नहीं है।

हरीप्रसाद

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध -3761-II/2015 **जिला सिंगरोली**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश हरीप्रसाद / जवाहर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14 –01–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता क तर्को पर विचार किया गया तथा विविध प्रकरण में अंकित तथ्यों को देखा गया एवं उन पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने विविध आवेदन में यह अंकित किया गया है कि इस न्यायालय मान. राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण क्रमांक 3162/दो/15 में निगरानी कर्ता के अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू द्वारा सर्वे क्रमांक 435 रकवा 0.040 है. के स्थान पर भूल से सर्वे क्रमांक 735 रकवा 0.40 है. अंकित कर दिया गया था। उसी अनुरूप माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निगरानी प्रकरण क्रमांक 3162/दो/15 में आदेश दिनांक 15.9.15 पारित किया गया है। सर्वे क्रमांक गलत अंकित हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के यहां कार्यवाही प्रभावित हो रही है। सर्वे क्रमांक 735 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 435 मान्य करने का आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विविध प्रकरण के संलग्न निगरानी में आक्षेपित आदेश दिनांक का अवलोकन किया गया जिसमें सर्वे क्रमांक 435 का ही सीमांकन किए जाने का उल्लेख है। अतः प्रकरण में निगरानी मेमों में अंकित सर्वे क्रमांक 735 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 435 माना जावे। उपरोक्त निर्देश के साथ यह विविध प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	